बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 14.08.2020

1. डॉ. वरूण ताम्रकार के विरूद्ध यूरोलॉजी सोसायटी के द्वारा शिकायत किया गया था जिसमें परिषद् के सदस्यो के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. वरूण ताम्रकार के विरूद्ध शिकायत में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली से इस शिकायत प्रकरण में अभिमत प्राप्त किया जायें एवं अभिमत प्राप्त होने तक डॉ. वरूण ताम्रकार के पंजीयन को छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल से निलंबित रखा जायें।

2. छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में कार्यरत् कर्मचारी को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के अनुसार नियमितीकरण किये जाने हेतु चर्चा किया गया। जिसमे अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर नियमितीकरण किये जाने की आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

3. छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल को दिल्ली व कुछ अन्य राज्यो के तर्ज पर स्वशासी संस्था बनाया जायें जिसमें कौंसिल के पंजीकृत चिकित्सक अध्यक्ष व रजिस्ट्रार का चयन कर सकें, इस विषय में प्रस्ताव बनाकर रखा जायें ।

4. डॉ. पुनीत गुप्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में रजिस्ट्रार द्वारा सभी सदस्यो को बताया गया की संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं डॉ. पुनीत गुप्ता के जवाब कौंसिल में प्राप्त हो चुका है। प्राप्त जवाब की प्रति सभी सदस्यों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

Scanned with CamScanner